-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 29.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **पुलिस लाइन बांदा सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा की अध्यक्षता में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु जागरूकता एवं समन्वय बैठक की गई आयोजित। संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश।**

विवरण- आज दिनांक 29.07.2026 को पुलिस लाइन बांदा सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज की अध्यक्षता में साइबर क्राइम टीम द्वारा OCSEA (Online Child Sexual Exploitation and Abuse), (National Center for Missing & Exploited Children - NCMEC), Cyber Tipline एवं (Child Sexual Exploitation and Abuse Material - CSEAM) आदि विषयों पर जागरूकता एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के समस्त थानों की महिला पुलिस अधिकारी, थाना (Anti Human Trafficking- AHT), विशेष किशोर पुलिस इकाई (Special Juvenile Police Unit - SJPU), बाल कल्याण अधिकारी, रेलवे सुरक्षा बल (Railway Protection Force - RPF), राजकीय रेलवे पुलिस (Government Railway Police - GRP), किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board - JJB), चाइल्डलाइन, वन स्टॉप सेंटर एवं बच्चों के संरक्षण से जुड़े विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों ((Non-Governmental Organizations - NGOs) के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence - AI) के माध्यम से तैयार की गई फर्जी फोटो एवं वीडियो, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड एब्यूज मटेरियल (Child Sexual Exploitation and Abuse Material - CSEAM) सामग्री का प्रसार, महिलाओं एवं बालिकाओं की अश्लील (नग्न अथवा आंशिक नग्न) फोटो-वीडियो वायरल करना, डिजिटल ब्लैकमेलिंग एवं ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे अपराधों की रोकथाम, पहचान, जांच एवं प्रभावी कानूनी कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही Cyber Tipline एवं NCMEC से प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही एवं विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक बांदा ने सभी संबंधित अधिकारियों को महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जन-जागरूकता बढ़ाने तथा साइबर अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही आमजन से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध साइबर गतिविधि की सूचना तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से दें।

जनपद बांदा पुलिस महिलाओं एवं बच्चों की गरिमा, सुरक्षा एवं सम्मान की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा इस प्रकार के साइबर अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कानूनी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।